न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 11/2017/डिक्री

कलादेवी पत्नि शांतिलाल सोनी
निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. वंदना पत्नि प्रेमनारायण सोनी
2. पानीबाई पत्नि गणेशलाल सोनी
   दोनो निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
3. मैनेजर एसबीबीजे बैक शाखा बडीसादडी तहसील बडीसादडी
4. राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 20/10/2016 प्रकरण संख्या 30/2015

उपस्थित – 1. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मनीष मोगरा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 व 2

निर्णय दिनांक : 22.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण/रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए राजस्व ग्राम बडीसादडी की खतौनी संख्या 358 की आराजी नम्बर 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 कुल किता 6 कुल रकबा 2.98 है0 एवं आराजी नम्बर 1500, 1501 है0 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त आराजीयात मे वादी संख्या 1 का 1/3, वादी संख्या 2 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है लेकिन रकबे की कमी बेशी को लेकर आये दिन विवाद होता है तथा लगान अदायगी मे मतभेद होने से बंटवाडा करवाया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश है जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के निर्देश से बंटवाडा हेतु सहमति व्यक्त की एवं राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वाद

पत्र प्राथमिक डिक्री करा लिया जिसकी पालना मे मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 28/05/2016 को फर्द बंटवाडा कायम करते हुए न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20/10/2016 को वाद पत्र अंतिम डिक्री कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/प्रतिवादिया द्वारा मात्र मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा हेतु सहमति व्यक्त की थी लेकिन मुझ अपीलान्ट के अधिवक्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता आपस मे सीनियर–जुनियर होकर एक ही ऑफिस से सम्बन्ध रखते है जिससे मुझ अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा राजीनामा की शर्त से अत्यधिक बढते हुए अपीलान्ट की नासमझी व विश्वास का दुरूपयोग करते हुए अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा कर फर्द बंटवाडा जारी करवा दिया जिसकी पालना मे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर आने पर स्वयं ने अपनी रिपोर्ट मे आपसी सहमति नही बनना अंकित किया है फिर भी फर्द बंटवाडा बनाते हुए अंतिम डिक्री पारित करवा ली है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त से विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मे दिये गये निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव के समय अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र जारी नही किये गये तथा बंटवाडा नियमो की अवहेलना करते हुए मनकमसुद तरीके से जो फर्द बंटवाडा कायम किया गया जिसमे अपीलान्ट के कब्जे की कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हिस्से मे अंकन कर दिया जिसकी पालना मे अंतिम डिक्री जारी की गई है वह शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। दिनांक 08/11/2016 को अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के पास प्रकरण की जानकारी करने गई तो उनके द्वारा दिनांक 20/10/2016 को ही प्रकरण मे अंतिम डिक्री जारी होना। दिनांक 17/11/2016 को नकल प्राप्त हुई। अपील अपीलान्ट बिना विलम्ब के न्यायालय आप मे पेश है। अत5 अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20/10/2016 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा हेतु अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दिनांक 27/02/2018 को वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर दर्शाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वंदना एवं पानी ने एक वाद पत्र बाबत् कराये जाने

बंटवाडा आराजीयात ग्राम बडीसादडी की खाता संख्या 358 की आराजी नम्बर 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 कुल किता 6 कुल रकबा 2.98 है0 एवं आराजी नम्बर 1500, 1501 है0 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त आराजीयात मे वादी संख्या 1 का 1/3, वादी संख्या 2 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है लेकिन रकबे की कमी बेशी को लेकर आये दिन विवाद होता है तथा लगान अदायगी मे मतभेद होने से बंटवाडा करवाया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश है जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के निर्देश से बंटवाडा हेतु सहमति व्यक्त की एवं राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र प्राथमिक डिक्री करा लिया जिसकी पालना मे मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 28/05/2016 को फर्द बंटवाडा कायम करते हुए न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20/10/2016 को वाद पत्र अंतिम डिक्री कर दिया। स्वंय वादीगण/रेस्पोडेट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र की कलम संख्या 5 मे अंकित किया गया कि मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा किया जावे तथा अनुतोष की कलम अ मे भी उसी अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडो का अनुतोष चाहा गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष से पेर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् के अनुसार मौके पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कब्जे काष्त की भूमि को अपीलान्ट के हिस्से मे दर्ज कर दी जो राजस्व नियमावली 18 से 21 की भावना के प्रतिकूल होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई अंतिम डिक्री अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के उक्त कथन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 173 मे स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया गया है कि नियम 18 से 21 की पालना आवश्यक है उसके अभाव मे पारित अंतिम डिक्री अपास्त होने योग्य है। इसी प्रकार सिद्वान्त आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 258 एवं आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 689 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की लार्जर बैंच द्वारा भी यह भी सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव स्वंय भूमिधारी तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। दिनांक 08/11/2016 को अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के पास प्रकरण की जानकारी करने गई तो उनके द्वारा दिनांक 20/10/2016 को ही प्रकरण मे अंतिम डिक्री जारी होना। दिनांक 17/11/2016 को नकल प्राप्त हुई। अपील अपीलान्ट बिना

विलम्ब के न्यायालय आप मे पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाई जाकर पुनः नियमानुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति मे मौके पर वाद पत्र मे वर्णित अनुतोष अनुसार कब्जे को ध्यान मे रखते हुए फर्द बंटवाडा कायम कर अंतिम डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 27/02/2018 को लिखित बहस पेश कर दर्शाया कि रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद लोक अदालत के विशेष कैम्प मे आपसी सहमति से राजीनामे के आधार पर निर्णित हुआ है। लोक अदालत मे सुनवाई के दौरान राजीनामा जरिये वकील निर्णित नही होकर अपीलान्ट कलादेवी स्वंय उपस्थित रही है। अपीलान्ट कलादेवी के हस्ताक्षर आदेशिका एवं राजीनामा प्रपत्र दौनो पर मौजुद है। इस प्रकार व्यक्तिगत उपस्थिति मे आपसी सहमति से सम्पन्न राजीनामे की डिक्री को जो लोक अदालत मे निर्णित हुई है को प्रश्नगत करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही है। विचारण न्यायालय मे सुनवाई के दौरान राजीनामा स्वंय अपीलान्ट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है तथा हस्ताक्षरित किया है अपीलान्ट अशिक्षित एवं मानसिक विकलांग नही है। अपीलान्ट का कोई ऐसा जवाबदावा या अभिवचन पत्रावली पर नही है जिससे यह ज्ञात हो कि वह कब्जा अनुसार विभाजन चाहती थी। प्राथमिक डिक्री पारित होने के बाद तहसीलदार बडीसादडी को भी अपीलान्ट ने अपने ऐसे आशय की लिखित सूचना फर्द बंटवाडे के समय नही दी है। प्राथमिक डिक्री की अपील किये बिना फाईल डिक्री पारित हो जाने के बाद ऐसे मनमाने आरोपो पर अपील ग्रहण योग्य नही रहती है। अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता पर निर्देश से बढकर राजीनाम तस्दीक करवा लेने का आरोप लगाया है एवं नासमझी तथा विश्वास के दुरूपयोग के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। यह निष्कर्ष राजस्व मण्डल ने अपने सर्वमान्य न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1995 पेज 409 एवं आरआरडी 1991 पेज 392 मे पारित किये हुए है। उक्त न्यायित दृष्टान्त के हस्तगत अपील प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। अपीलान्ट ने आप न्यायालय मे अपील पेश करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय मे एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने हेतु आवेदन दिनांक 18/11/2016 को पेश कर दिया जिसमे उसने अंतिम डिक्री पारित होने की जानकारी होना वर्णित किया हुआ है। अतः उपरोक्त अनुसार लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारीज की जावे तथा विचारण न्यायालय का निर्णय कायम रखा जावे।

5. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 30/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 20/10/2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़